न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

निगरानी प्रा0पत्र 14(4) संख्या 25/2021 बउनवानी सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

रतनलाल पुत्र नामूलम निवासी जीनापुर तहसील सवाईमाधोपुर

जीसीएमएस संख्या :– 2021/119

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.स. अहलकार जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
28.6.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राजस्व तहसीलदार(भू.अ.) उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थी रतनलाल पुत्र नामूलम निवासी जीनापुर के पक्ष में ग्राम जीनापुर के साबिक ख0न0 551 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 28.11.1977 को किया गया था किन्तु उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है। अप्रार्थी रतनलाल की तलवी हेतु जारी नोटिस पर तामिल कुन्दि की यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वर्तमान में रतनलाल पुत्र नामालूम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जीनापुर मे नही है ओर ना ही उसके कोई वारिसान है। आवंटन के आवेदन पत्र पर यह लिखा गया है कि रतनलाल जन्म से गूंगा व बहरा है इसलिए उसके ग्राम का नाम पता नही है। आवंटी के विधिक वारिसान के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक/भू.अ./2023/7890 दिनांक 27.12.2023 से अवगत कराया कि ग्राम के व्यक्तियों से मालूमात करने पर उन्होने बताया कि रतन नाम का एक 7–8 वर्ष का लडका कही बाहर से ग्राम जीनापुर में पहुॅच गया जो कि मूक बधिर था मूक बधिर होने के कारण से उक्त बालक रतन के कायम मुकाम(वारिसान) का पता नही चल सका। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रतन नाम का बालक बाल्यावस्था से ही कन्हैयालाल पुत्र जगन्या मीना के पास रहने लगा जब वह बालिग हुआ तब उसको उक्त भूमि आवंटित हुई थी। उक्त व्यक्ति ग्राम जीनापुर का निवासी नही था किन्तु जीनापुर मे कन्हैयालाल के पास ही रहा था। इस प्रकार रतन पुत्र नामालूम का कोई विधिक वारिसान नही है। रतन द्वारा उसको आवंटित भूमि रतन की गैर खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर कभी रतन द्वारा काश्त किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में रतन पुत्र नामूल को दिनांक 28.11.1977 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तोवजात के अनुसार आवंटी रतन पुत्र नामूल लाओलाद फोत हो चुका है रतन का वर्तमान में ग्राम जीनापुर मे कोई विधिक वारिसान नही है एवं रतन का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नही किया है ओर उसका कोई विधिक वारिसान भी नही है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे रतन पुत्र नामालूम को ग्राम जीनापुर के ख0न0 551 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का दिनांक 28.11.1977 को किया गया आवंटन खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ। उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी रतन पुत्र नामालूम के पक्ष में दिनांक 28.11.1977 को ग्राम जीनापुर के साबिक ख0न0 551 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का [illegible] आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया । (डॉ0 खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner